[श्री परशोत्तम रुपाला]

बजाय आपकी जो साइंटिफ़िक एडवाइज़ हैं, उसी पर आप निर्भर रहते हुए खाद का नियंत्रित रूप में उपयोग करें। यह बताने का अवेयरनेस कार्यक्रम बड़े पैमाने पर देश में हम चला रहे हैं।

श्री संजय सिंह: महोदय, मेरा दूसरा सवाल भी इसी से संबंधित है। जैविक खेती, जिसकी चर्चा आज बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की क्या योजना है?

श्री परशोत्तम रुपाला: महोदय, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। यदि कोई ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र बनाना चाहता है तो हम राज्य सरकार को 100 परसेंट सब्सिडी देकर, उसको दो सौ टन तक के यूनिट डालने के लिए सहायता दे रहे हैं। ऐसे ही किसानों को, यदि वे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो उनको 50 हज़ार रुपये, दो हैक्टेयर की लिमिट के लिए, तीन साल तक देने का प्रावधान भारत सरकार की ओर से हम कर रहे हैं।

श्री सभापति: क्वेश्चन 131, कृषि और रेलवे दोनों के ऊपर सब प्रश्न पूछ रहे हैं।

किसानों को ऋण-जाल से मुक्त कराने के लिए कदम उठाये जाना

*131. **श्री राकेश सिन्हा**: क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने किसानों को महाजनों के ऋण-जाल से मुक्त कराने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं;

(ख) वर्ष 2017-18 और 2018-19 में कितने किसानों को महाजनों की उच्च ब्याज दर से मुक्त कराया गया है;

(ग) क्या सरकार किसानों के लिए सहकारी बैंक स्थापित करने का विचार रखती है, जो विशेष रूप से ऋण, उत्पादन और बिक्री से जुड़े मामलों में किसानों की मदद कर सकें; और

(घ) वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में कितने किसानों ने ऋण के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परशोत्तम रूपाला): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत सरकार द्वारा किसानों/व्यक्तियों की कर्जदाताओं सहित गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश (पीएसएल) किसानों को ऋण देने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को उधार देने के लिए सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18 प्रतिशत या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर धनराशि के समान ऋण पिछले वर्ष इसी अवधि के अनुसार जो भी अधिक हो, निर्धारित करने के लिए अधिदेश देते हैं।

(ii) पीएसएल दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-संस्थागत उधारदाताओं से लिए ऋण प्राप्त किसान और अन्य व्यक्ति पीएसएल के तहत ऋण (अधिकतम 100000 रुपये प्रति ऋणी) प्राप्ति करने के पात्र है ताकि गैर-संस्थामगत ऋणदाताओं का ऋण चुका सके।

(iii) सभी पात्र किसानों को उनके कृषि प्रचालनों के लिए सहज व समय पर ऋण उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की है जो उन्हें फसलों की खेती के लिए लघु अवधि ऋण आवश्यकताओं; फसलोपरांत खर्चों; उत्पाद विपणन ऋण, किसान परिवार की खपत आवश्यकताओं; खेत परिसंपत्तियों अनुरक्षण और कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी; और कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश पूंजी आवश्यकता के लिए सक्षम बनाती है। कीटनाशकों को खरीदने के साथ-साथ अन्य कृषिगत और खपत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी निकालने में सक्षम बनाती है। केसीसी योजना किसानों को अन्य बातों के साथ-साथ एकबारगी दस्तावेजीकरण और अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के भीतर कितनी भी निकासी आदि के साथ एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

(iv) केसीसी स्कीम के तहत, फसलोपरांत भंडागार से संबंधित ऋण आवश्यकताओं तथा अन्य कृषिगत व्ययों, खपत आवश्यकताओं आदि एवं भूमि के मूल्य से जोड़े बिना लघु अवधि ऋण निवेश सहित भू-जोत व उगाई गई फसलों के आधार पर सीमांत किसानों (शिथिल केसीसी के रूप में) को 10,000 से 50,000 रुपये तक शिथिल सीमा तथा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

(v) औपचारिक ऋण प्रणाली में लघु एवं सीमांत किसानों की कवरेज बढ़ाने के लिए आरबीआई ने संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.6 लाख कर दी है।

(vi) लघु एवं सीमांत किसानों, शेयर-क्रॉपर्स तथा उन्हीं तरह के लोगों के लिए 50,000 रुपये की अल्पत ऋण के लिए 'नो ड्यूज' प्रमाणपत्र की अनिवार्य को हटा दिया गया है इसके बदले में उधारकर्ता से केवल एक स्व-घोषणा पत्र अपेक्षित है।

(vii) संस्थागत ऋण की तहत लघु, सीमांत, किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदारों को शामिल करने के लिए नाबार्ड द्वारा संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को बढ़ावा दिया गया है।

(viii) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उधार देने वाले संबंधित संस्थानों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें अन्यं बातों के साथ-साथ मौजूदा फसल ऋणों और सावधि ऋणों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण, नए ऋण देना, सिक्योरिटी एवं मार्जिन मानदंड, अधिस्थगन इत्यादि को शिथिल करना शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि संबंधित जिला प्राधिकरणों द्वारा आपदा की घोषणा करते ही वे बिना किसी हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाते हैं, इस प्रकार कीमती समय बचता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे के अनुरूप बैंकों द्वारा राहत उपायों को शुरू करने के लिए फसल नुकसान के बेंचमार्क को 50% से कम करके 33% तक कर दिया गया है।

(ix) ब्याज माफी स्कीम किसानों को घटी हुई ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि ऋणों के लिए ब्याज छूट योजना (आईएसएस) शुरू की है। पीएसी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों के माध्यटम से इस स्कीम का कार्यान्वयन किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत सभी किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है तथा समय पर पुनर्भुगतान हेतु ऋण की प्रभावी लागत को घटाकर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष करते हुए ऋण का तत्काल भुगतान करने हेतु अतिरिक्त 3 प्रतिशत इनसेंटिव दी जाती है। उत्पादों की मजबूरन बिक्री रोकने के लिए निगोशियएबल वेयरहाउस प्राप्तियों के एवज में ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड वाले लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज छूट का लाभ 6 महीनों (फसलोपरांत) की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। केसीसी के अंतर्गत 2 लाख रुपये तक की कार्यशील पूंजी के लिए पशु पालन तथा मात्स्यिकी से जुड़े किसानों के लिए भी ब्योज छूट का लाभ दिया गया है।

(x) किसान परिवार जिनके पास खेती योग्य भूमि होती है (अधिक आय समूहों से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन) को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 24 फरवरी, 2019 को एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके जिससे ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण के जाल से उन्हें बचाया

जा सके और कृषि कार्यकलापों में उनकी निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के तहत किसान परिवारों को चार माह के अंतराल पर 2000 रुपये की तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

(ख) (i) इस तरह डेटा का रखरखाव सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से किसानों को पर्याप्त) रियायती ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कृषि ऋण लक्ष्य वर्ष 2016-17 में 9 लाख करोड़ का जो वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। निम्नलिखित तालिका में दी गई सूचना के अनुसार यह लक्ष्य वर्ष दर वर्ष लगातार बढ़ता गया है:-

(राशि करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
2016-17	9,00,000	10,65,755.67
2017-18	10,00,000	11,68,502.84
2018-19	11,00,000	12,56,829.62
2019-20	13,50,000	6,96,925.16 (30.09.2019 तक)

(ii) किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संस्थागत ऋण तक सरल पहुंच की सुविधा के लिए केसीसी के तहत 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण प्रभार तथा फोलियो एवं दस्तावेजीकरण प्रभार को संपूर्ण रुप से हटा दिया गया है। सभी बैंकों को यह निर्देश जारी किया गया कि आवेदन की प्राप्ति से 14 दिनों के भीतर ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक मानक सामान्य आवेदन फार्म तैयार किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों के पास ग्राम स्तर से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी ऋण हायरार्की होती है जिसमें पीएसीएस, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) तथा राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। इन डीसीसीबी तथा एससीबी के बीच बैंकिंग संस्थाएं होती हैं जो किसानों को ग्रामीण कृषिगत उधार देने का कार्य पहले से ही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंक, सदस्य वाहित संस्था होती हैं जिन्हें सदस्यों द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है तथा राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक तथा बहुराज्य सहकारी बैंकों के लिए सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा पंजीकरण की मंजूरी दी जाती है। देश भर में 33 राज्य सहकारी बैंक, 363 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा 95595 प्राथमिक कृषि ऋण समिति संचालित हैं।

(घ) गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपराधिक रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) "आकस्मिक मृत्यु एवं भारत में आत्महत्या" (एडीएसआई) शीर्षक नामक पत्रिका के माध्यम से आत्महत्याओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन तथा प्रसारण करता है। वर्ष 2015 तथा 2016 में आत्महत्याओं की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2015 के दौरान कृषि क्षेत्र (8007 किसान/कृषक तथा 4595 कृषि श्रमिक सहित) कुल 12,602 लोगों ने आत्महत्या की। वर्ष 2016 के दौरान कृषि क्षेत्र (6270 किसान/कृषक तथा 5109 कृषि श्रमिक सहित) कुल 11,379 लोगों ने आत्महत्या की। एडीएसआई 2015 के अनुसार दिवालिया तथा ऋणग्रस्तता के कारण 3097 किसानों ने आत्महत्याएं कीं। वर्ष 2017 तथा आगे की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।00

Steps to set farmers free from debt trap

†*131. SHRI RAKESH SINHA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) the steps taken bv Government to set the farmers free from debt trap of money lenders;

(b) the number of such farmers set free from high interest rate of money lenders in the years 2017-18 and 2018-19;

(c) whether Government proposes to set up co-operative banks for farmers which would exclusively help the farmers in the matters related to debt, production and sales; and

(d) the number of farmers who committed suicide due to debt burden in the years 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The steps taken by the Government of India, to extend institutional credit to farmers/individuals so as to reduce their dependence on non-institutional sources including moneylenders, are as under:

(i) The Priority Sector Lending (PSL) directions of RBI mandate all Domestic Scheduled Commercial Banks to earmark 18% of their Adjusted

†Original notice of the question was received in Hindi.

Net Bank Credit (ANBC) or Credit Equivalent amount of Off-Balance Sheet Exposure (OBE). whichever is higher, as on the corresponding dale of the previous year, for lending to Agriculture including loans to farmers. Further, a sub-target of 8% for small and marginal farmers has also been fixed.

(ii) Loans to distressed farmers and to other persons (not exceeding ₹ 1,00,000/- per borrower) indebted to non-institutional lenders is an eligible category under PSL, to enable them to repay their debt to non-institutional lenders.

(iii) In order to ensure that all eligible farmers are provided with hassle-free and timely credit for their agricultural operations, Government has introduced the Kisan Credit Card (KCC) Scheme, which enables farmers to meet the short term credit requirements for cultivation of crops: Post-harvest expenses; Produce marketing loan; Consumption requirements of farmer household; Working capital for maintenance of farm assets and activities allied to agriculture; and Investment credit requirement for agriculture and allied activities. KCC Scheme provides for issue of ATM enabled RuPay debit card with, inter alia, facilities of one-time documentation, built-in cost escalation in the limit, any number of drawals within the limit, etc.

(iv) Under the KCC Scheme, a flexible limit of ₹ 10,000 to ₹ 50,000 has been provided to marginal farmers (as Flexi KCC) based on the land holding and crops grown including post-harvest warehouse storage related credit needs and other farm expenses, consumption needs, etc.. plus small term loan investments without relating it to the value of land.

(v) To enhance coverage of small and marginal farmers in the formal credit system, RBI has raised the limit for collateral-free agriculture loans from ₹ I lakh to ₹ 1.6 lakh.

(vi) The requirement of 'no due' certificate has been dispensed with for small loans up to ₹ 50,000 to small and marginal farmers, share-croppers and the like and, instead, only a self-declaration from the borrower is required.

(vii) To bring small, marginal, tenant farmers, oral lessees, etc. into the fold of institutional credit. Joint Liability Groups (JLGs) have been promoted by NABARD.

(viii) Reserve Bank of India (RBI) has issued directions for Relief Measures to be provided by respective lending institutions in areas affected by natural calamities which, *inter alia*, include restructuring/rescheduling of existing crop loans and term loans, extending fresh loans, relaxed security and margin norms, moratorium, etc. These directions have been so designed that the moment calamity is declared by the concerned District Authorities, they are automatically set in motion without any intervention, thus saving precious time. The benchmark for initiating relief measures by banks has been reduced from 50% to 33% crop loss in line with the National Disaster Management Framework. Banks have been advised not to insist for additional collateral security for restructured loans.

(ix) Interest Subvention Scheme: With a view to ensuring availability of agriculture credit (including loans taken against KCC) at a reduced rate of interest to farmers, the Government of India had introduced an Interest Subvention Scheme for short term crop loans up to ₹ 3.00 lakh. The scheme is implemented through Public Sector Banks, Regional Rural Banks, Cooperatives Banks including PACs and Private Sector Banks. Under the scheme, 2 per cent interest subvention is provided to all farmers and an additional 3 per cent incentive is given for prompt repayment of loan reducing the effective cost of loan to 4 per cent per annum on timely repayment. The benefit of interest subvention is extended for a period of up to six months (post- harvest) to small and marginal farmers having Kisan Credit Card on loan against negotiable warehouse receipts to prevent distress sale of produce. The benefit of Interest Subvention has also been extended to Animal Husbandry and Fisheries farmers on loans for working capital under KCC upto 2 lakh.

(x) The Central Government had launched on 24th February, 2019, a new Central Sector Scheme, namely, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) with a view to provide income support to the

farmers' families holding cultivable land (subject to certain exclusions relating to higher income groups) to enable them to take care of expenses related to agriculture and allied activities as well as domestic needs so as to protect them from falling in debt trap for meeting such expenses and ensure their continuance in the farming activities. Under the Scheme, a financial benefit of ₹ 6000/- per year is provided, in three 4-monthly installments of ₹ 2000/- each, to the farmer families.

(b) (i) This data is not maintained by the Government. However, the agri credit targets have been substantially enhanced from ₹ 9 lakh crore in 2016-17 to ₹ 13.5 lakh crore in 2019-20 with a view to ensure availability of adequate concessional credit to farmers from formal financial institutions. These targets have been consistently surpassed year on year as per the information given in the table below:-

(Amount in ₹ Crore)

Year	Target	Achievement
2016-17	9,00,000	10,65,755.67
2017-18	10,00,000	11,68,502.84
2018-19	11,00,000	12,56,829.62
2019-20	13,50,000	6,96,925.16 (As on 30.09.2019)

(ii) To facilitate easy access to institutional credit through Kisan Credit Card, processing Fee, inspection charges and folio and documentation charges have been totally waived off for agri loans upto ₹ 3 lakhs under KCC. Instructions have been issued to all banks to issue the Kisan Credit Card within 14 days from receipt of complete application. A standard Common application form has been designed to remove any ambiguity.

(c) The State Governments have their co-operative credit hierarchy from village to apex level which includes PACS, District Central Cooperative Banks (DCCBs) and State Co-operative Bank. Among these DCCBs and SCBs are banking institutions which are already involved in rural agricultural lending to the farmers. Further co-operative banks are member driven institutions formed by members wherein banking license is to be granted by RBI and registration is granted by Registrar of Co-operative Societies for State level co-operative banks and by Central Registrar of Co-operative Societies

for multi-State co-operative banks. There are 33 State Cooperative Banks, 363 Districts Central Cooperative Banks and 95,595 Primary Agriculture Credit Societies operating in the country.

(d) The National Crime Records Bureau (NCRB) under the Ministry of Home Affairs compiles and disseminates information on suicides in its publication titled 'Accidental Deaths and Suicides in India' (ADSI). The report on suicides for the year 2015 and 2016 are available on the website. During the year 2015 a total of 12,602 persons involved in farming sector (consisting of 8,007 farmers/cultivators and 4,595 agricultural labourers) committed suicide. During the year 2016 a total of 11,379 persons involved in farming sector (consisting of 6,270 farmers/cultivators and 5,109 agricultural labourers) committed suicide. As per ADSI, 2015, the farmer's suicide due to bankruptcy and indebtedness is 3097. Reports for the years 2017 and onward are not published.

श्री राकेश सिन्हा: सभापति महोदय, मैं प्रश्न के उत्तर से बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री सभापति: एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री राकेश सिन्हा: पहला सप्लिमेंटरी है कि किसानों को जो लोन दिया जाता है, जैसे 11 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया है या किसी साल 10 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। उसमें एग्रीबिज़नेस भी शामिल है, जिसके कारण किसानों को कितना मिलता है और एग्रीबिज़नेस को कितना जाता है? 4 परसेंट इंटरेस्ट रेट के आधार पर किसानों को देते हैं, उसी रेट पर एग्रीबिज़नेस ले जाता है। क्या सरकार एग्रीबिज़नेस को दिए जाने वाले लोन को और किसानों को दिए जाने वाले लोन को सेग्रीगेट करेगी।

श्री परशोत्तम रुपाला: महोदय, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं- मैं मानता हूं कि हम जो 4 प्रतिशत का इंटरेस्ट subvention देते हैं, वह हम एग्रीबिज़नेस में नहीं दे रहे हैं। हम उसे सिर्फ़ ऐग्रीकल्चर के लिए, जो किसान क्रॉप लोन लेते है, शॉर्ट लोन लेते हैं, उन्हीं किसानों को मुहैया करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से मैं सदन के सभी सदस्यों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा अभियान देश में भारत सरकार ने चला कर रखा है। मैं चाहता हूं और सभी माननीय सांसदों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि जिन किसानों को उनके क्षेत्र में इंस्टीट्यूशनल ऋण नहीं मिल रहा है, ऐसे किसानों को सिर्फ तीन चीज़ों से - पहला उनका लैंड रिकॉर्ड, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा उनका फोटो, इन तीन ही चीज़ों से उनको किसान क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से मिल जाएगा। सर, 4.6 लाख रुपये तक की मर्यादा में उनकी लैंड के आधार पर उनको ऋण देने का कार्यक्रम चल रहा है।

श्री सभापति: अपना सेकेंड सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री राकेश सिन्हा: सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी किसानों के सुसाइड के बारे में है। हम जो नीति अपना रहे हैं, जैसे future trading in commodities या national market की बात है, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी अमेरिका में 1.5% किसानों का सुसाइड रेट बढ़ा है और वहां एक Farm Aid संस्था है, जिसने बताया कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: राकेश जी, आप अपना सवाल पूछिए।

श्री राकेश सिन्हा: कि 109% किसानों के distress call उनके पास आ रहे हैं। वहां पर अभी सुसाइड को रोकने के लिए The Seeding Rural Resilience Act लाया गया है। यदि हम भी उसी मॉडल को लाएंगे, जो अमेरिका का ट्रेडिंग का, नेशनल मार्किट का मॉडल है, तो वहां पर 49% किसानों की इनकम नीचे आ गई है। वहां जो Centres for Disease Control and Prevention है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: सिन्हा जी, आप अपना सवाल पूछिए। आप जानकारी दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राकेश सिन्हा: 49% नीचे गया है। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या हम उस मॉडल को reject करेंगे, जो commodity trading है, यह होर्डिंग को बढ़ावा देता है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मंत्री जी।...**(व्यवधान)**...

श्री राकेश सिन्हा: और इसके कारण किसानों की तबाही बढ़ रही है।

श्री परशोत्तम रुपाला: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है, वह अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो कानून चल रहे हैं, उसका तुलनात्मक अभ्यास करके, हमारे देश की कृषि के लिए और किसानों के लिए क्या सही है, उसी के बारे में अध्ययन करने के बाद कहा जा सकता है।

श्री राजमणि पटेल: सभापति जी, 'घ' के उत्तर में वर्ष 2015-16, 2017-18 और 2018-19 में जिन किसानों ने ऋण के दबाव में आकर आत्महत्याएं की हैं, क्या सरकार द्वारा उनके परिवारों को कोई ऐसी विशेष सहायता देने की योजना है या उनको योजना के तहत कोई लाभ दिया गया है?

श्री परशोत्तम रुपाला: सर, भारत सरकार के कृषि विभाग की ओर से किसानों की स्थिति को सुधारने के कई कार्यक्रम अमल में हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, उनको सीधे सहायता देने का कोई प्रावधान वर्तमान पॉलिसी में नहीं है।